मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, २०१७

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ११-क का संशोधन.

४. धारा ११-ख के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

५. धारा ११-खख के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

६. धारा ११-ग का संशोधन.

७. धारा ११-च के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

८. धारा ११-चच का संशोधन.

९. धारा ११-चचच का स्थापन.

१०. धारा ११-छ का संशोधन.

११. धारा ११-झ के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, १९३४ (क्रमांक १३ सन् १९३४) को और संशोधित करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश मनी लेण्डर्स एक्ट, १९३४ (क्रमांक १३ सन् १९३४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ के खण्ड (नौ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"तहसीलदार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्र. २० सन् १९५९) की धारा १९ की उपधारा (१) के तहत् नियुक्त किया गया कोई तहसीलदार.

धारा ११-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ११-क की उपधारा (१) में, शब्द "रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "तहसीलदार" स्थापित किया जाए.

धारा ११-ख के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ११-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

११-ख. (१) प्रत्येक व्यक्ति, जो साहूकारी का कारोबार करता है या करने का आशय रखता है, उस क्षेत्र के, जिसमें वह ऐसा कारोबार करता है या करने का आशय रखता है, तहसीलदार को आवेदन करके स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवायेगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर तहसीलदार उसे ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाए, एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो साहूकारों की फर्म या साहूकारों की फर्म के भागीदार के रूप में इस प्रकार तब ही रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जब वह भागीदारी अधिनियम, १९३२ (क्रमांक ९ सन् १९३२) की धारा ५९ के अधीन फर्म के रजिस्टर में की गई उस प्रविष्टि की जिसमें ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति फर्म या भागीदार के रूप में दर्शाया गया हो, एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार के समक्ष पेश करे, अन्यथा नहीं:

परन्तु यह और भी कि कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संविधान के अनुच्छेद २४४ के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी का कारोबार करने के लिए नहीं दिया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया आवेदन लिखित में होगा और "उसमें वह क्षेत्र, जिसमें आवेदक साहूकारी का कारोबार करता है या करने का आशय रखता है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी, जैसी विहित की जाएं".

धारा ११-खख के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ११ खख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"११-खख. मध्यप्रदेश साहूकार संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारंभ के पूर्व जिला पंचायत द्वारा धारित समस्त अभिलेख तहसीलदार को अंतरित हो जाएंगे.".

धारा ११-ग का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ११-ग की उपधारा (१) में, शब्द रजिस्ट्रीकरण फीस के पश्चात्, शब्द ''ऐसे प्रत्येक जिले के संबंध में, जिसमें कि वह साहूकारी का कारोबार करता हो या करने का आशय रखता हो'' अंत:स्थापित किया जाए.

धारा ११-च के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा ११-च (२) एवं (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''(२) जो कोई अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे जुर्माने से जो ''पांच हजार'' रुपए तक का हो सकेगा या यदि उसे उस उपधारा के अधीन पूर्व में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो ऐसे जुर्माने से, जो ''पच्चीस हजार'' रुपए तक हो सकेगा दंडनीय होगा.

(३) जो किसी अनुसूचित क्षेत्र में उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ''वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो ''पच्चीस हजार'' रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा.''.

धारा ११-चच का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ११-चच में शब्द ''दो हजार'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार'' और ''पांच हजार'' के स्थान पर, शब्द ''पच्चीस हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा ११-चचच का स्थापन.

९. मूल अधिनियम की धारा ११-चच के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''११-चचच. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण किए बिना साहूकारी का कारोबार किए जाने संबंधी प्रकरण संज्ञान में आने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार प्रथम दृष्टया ऐसे साहूकारों को चिन्हित करेगा तथा प्रकरण की जांच करेगा एवं सही पाए जाने पर धारा ११-च में विहित जुर्माने से दंडित करेगा.''.

धारा ११-छ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ११-छ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१) उपखंड अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी भी क्षेत्र में धारा ११-च की उपधारा (१) के विरुद्ध अपराध किया है और किसी क्षेत्र में धारा ११-चच की उपधारा के विरुद्ध अपराध किया है, ऐसे अपराध के लिए प्रतिकर के तौर पर, ऐसी धनराशि, जो ''पच्चीस हजार'' रुपए से अधिक न हो, प्रतिग्रहीत कर सकेगा.''.

धारा ११-झ के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

११. मूल अधिनियम की धारा ११-झ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''११-झ. मध्यप्रदेश साहूकार संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारंभ के पूर्व इस अधिनियम के अधीन मंजूर किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उस कालावधि तक के लिए, जिसके लिए वह मंजूर किया गया था, प्रवृत्त बना रहेगा.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश मनी लेण्डर्स एक्ट, १९३४ के वर्तमान उपबंधों के कारण—

साहूकारों के पंजीकरण में पंचायत स्तर पर अत्यधिक कमी आई है एवं अवैध रूप से साहूकारी के कारोबार में प्रदेश भर में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके कारण साहूकारों पर सरकार का नियंत्रण न के बराबर होने से साहूकारों की मनमानी एवं अवैध साहूकारी प्रदेश में बढ़ रही है. फलस्वरूप आम आदमी अवैध सूदखोरी के कारण आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है.

प्रस्तावित संशोधन विधेयक से साहूकारों पर सरकार का सीधा नियंत्रण कायम होगा, अवैध सूदखोरी की रोकथाम होगी एवं प्रत्येक साहूकार का पंजीयन विधिवत् होगा, ताकि आम आदमी पर अनावश्यक आर्थिक भार न पड़े. क्योंकि प्रदेश में किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्या के पीछे एक कारण अवैध सूदखोरी भी है, जिसकी रोकथाम के लिए संशोधन विधेयक प्रस्तावित है.

भोपाल :
दिनांक २८ जून, २०१७

शैलेन्द्र पटेल
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, १९३४ (क्रमांक १३ सन् १९३४) से उद्धरण.

* * * * *

धारा २ (नौ) "रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्रों में अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों के लिए मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन गठित की गयी जिला पंचायत या जनपद या ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में अपने-अपने क्षेत्रों के लिए यथास्थिति मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन गठित किया गया नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित की गई नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत.

* * * * *

धारा ११-क. (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसे प्ररुप में जो विहित किया जाये, साहूकारों का एक रजिस्टर रखेगा.

धारा ११-ख. (१) प्रत्येक व्यक्ति जो साहूकारी का कारबार करता है या करने का आशय रखता है, उस क्षेत्र के, जिसमें वह ऐसा कारबार करता है या करने का आशय रखता है, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवेदन करके स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवायेगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उसे ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाए, एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो साहूकारों की फर्म या साहूकारों की फर्म के भागीदार के रूप में इस प्रकार तब ही रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जब वह भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ (क्रमांक ९ सन् १९३२) की धारा ५९ के अधीन फर्म के रजिस्टर में की गई उस प्रविष्टि की, जिसमें ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति फर्म या भागीदार के रूप में दर्शाया गया हो, एक प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष पेश करे, अन्यथा नहीं:

परन्तु यह और भी कि कोई रजिरट्रीकरण प्रमाण-पत्र संविधान के अनुच्छेद २४४ के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी का कारबार करने के लिए नहीं दिया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया आवेदन लिखित में होगा और उसमें वह क्षेत्र, जिसमें आवेदक साहूकारी का कारबार करता है या करने का आशय रखता है और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट की जाएंगी, जैसी विहित की जाएं.

धारा ११-खख. मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) अधिनियम, २००० के प्रारम्भ के पूर्व तहसीलदार द्वारा धारित समस्त अभिलेख जिला पंचायत को अन्तरित हो जाएंगे.

धारा ११-ग. (१) व्यक्ति जो धारा ११-ख के अधीन आवेदन करे, रजिस्ट्रीकरण फीस, के बारे में पचास रुपये प्रतिवर्ष की दर से रजिस्ट्रीकरण फीस विहित रीति में चुकायेगा :

परन्तु यह तब जबकि, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी को या तो सामान्यत: या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय से छूट दे सकेगी.

(२) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उसके लिए आवेदक द्वारा निवेदन करने पर, एक वर्ष से, दो वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जा सकेगा.

धारा ११-च. (१) कोई भी व्यक्ति, किसी क्षेत्र में साहूकारी का कारबार तभी करेगा, जब वह उस क्षेत्र के सम्बन्ध में विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करता है:

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जो विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करता हो, किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में साहूकारी का कारबार नहीं करेगा या ग्राम सभा के किसी सदस्य को धन उधार नहीं देगा यदि इस आशय का संकल्प ऐसी ग्राम पंचायत की सभा द्वारा सम्यक् रूप से पारित कर दिया गया हो.

(२) जो कोई अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या यदि उस उपधारा के अधीन पूर्व में सिद्धदोष ठहराया गया हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.

(३) जो कोई किसी अनुसूचित क्षेत्र में उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

धारा ११-चच. कोई भी, जो धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) या धारा २-क के उपबंधों का उल्लंघन करेगा उसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो दो हजार रुपये तक विस्तारित किया जा सकेगा या यदि वह उस धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) या धारा २-क, यथास्थिति हो, के तहत् अपराध से पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका है तो उसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक विस्तारित हो सकेगा.

धारा ११-छ. उपखण्ड अधिकारी, किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसने अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी भी क्षेत्र में धारा ११-च की उपधारा (१) के विरुद्ध अपराध किया है और किसी क्षेत्र में धारा ११-चच के विरुद्ध अपराध किया है, ऐसे अपराध के लिए प्रतिकर के तौर पर, ऐसी धनराशि, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो, प्रतिगृहीत कर सकेगा.

धारा ११-झ. मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) अधिनियम, २००० के प्रारम्भ के पूर्व इस अधिनियम के अधीन मंजूर किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र उस कालावधि तक के लिए, जिसके लिए वह मंजूर किया गया था, प्रवृत्त बना रहेगा.

* * * * *

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.